तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-07-24	पत्रावली पेश हुई। व कुलाय उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11-07-24 को पेश हो।	
11-07-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप० प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बाजेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

[illegible]/प्रा0पत्र/2023 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 22.06.2023 — श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

सीमा कुमारी पत्नी हुकमचंद जाति मीना निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थिया

बनाम

1. मुकुट बिहारी आ0 श्री रघुनाथ जाति मीना निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. भरोसी बाई आ0 मुकुटबिहारी जातिं मीना निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ता:– 1. श्री सुरेश वर्मा(अधिवक्ता प्रार्थिया)
2. श्री बालकिशन रायक(अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

दिनांक:– 11.07.2024

निर्णय

प्रार्थिया ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम गुहाटा पटवार हल्का गुहाटा तहसील इन्दगढ़ जिला बून्दी में खाता संख्या नया 310 में भूमि खसरा संख्या 1065/137 रकबा 1.2100है0 किस्म नहरी प्रथम स्थित है। जिसकी प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थिगणं ताकतवर व्यक्ति है जो जबरन वादी विषयक आराजी पर कब्जा कर प्रार्थिया को बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थिगण ने दिनांक 18.06.2023 को ट्रेक्टर लेकर वाद वर्णित आराजी में आये और जबरन हकाई करने लग गये। प्रार्थिया ने रोकने पर प्रार्थिया को मारने पीटने दौड़े। प्रार्थिया ने पूर्व में भी अप्रार्थिगण की शिकायत थाना देहीखेड़ा व उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में लिखित में की है। प्रार्थिया को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अप्रार्थिगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकर उत्पन्न हो गया है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के हक में है। दौराने वाद अप्रार्थिगण द्वारा प्रार्थिया को बेदखल कर भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थिया को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

व नहीं हो सकेगी। अन्त प्रार्थिया ने निवेदन किया कि अप्रार्थिगण को दौराने वाद अस्थायी आज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद विषयक आराजी वाके ग्राम गुहाटा में जबरन कब्जा नहीं करे। प्रार्थिया द्वारा भूमि उपयोग लेने में किसी प्रकार का अवरोध न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थिगण ने जवाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि पूर्व में पुराना खसरा संख्या 53, 53मिन कुल किता 2 कुल रकवा 9 वीघा 17 विस्वा था जिसके नये खसरा संख्या 137 रकबा 1.52 है0 बने। प्रार्थिया ने जानबुझकर उसका नाम खाते में कैसे आया संबंधी तथ्य छिपाया है। उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं है। सही तथ्य यह है कि अप्रार्थिया भरोसी बाई ने उक्त खसरा संख्या 137 की कृषि भूमि तत्कालीन खातेदार रामकंवरी से जो प्रार्थिया की दादी सास है से पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 08.03.1995 को खरीद की थी। तब से अप्रार्थिया भरोसी बाई उक्त भूमि पर काविज काश्त है। अप्रार्थिया भरोसी बाई लबान तहसील इन्दगढ़ की निवासी है। अप्रार्थिया भरोसी बाई ने दिनांक 08.03. 1995 को भूमि खसरा संख्या 53 मिन रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 53 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी तत्कालीन खातेदार रामकंवरी मींणा निवासी गुहाटा से 1,50,000/रु में पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी जिसके खसरा संख्या 137 रकबा 1.52है0 बनाये गये। पंजीकृत विक्रय पत्र कराने के साथ रामकंवरी बाई द्वारा क्रेता भरोसी बाई को कब्जा दे दिया था। वर्तमान में अप्रार्थिया काबिज काश्त है। उक्त विक्रय पत्र आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा रिकार्ड में परिवर्तन कर रामकंवरी बाई का हिस्सा 1/5 और हुकमचंद जो प्रार्थिया का पति है का हिस्सा 4/5 अंकित कर दिया गया। उक्त भूमि पर अप्रार्थिया के पक्ष में इन्तकाल नहीं खौलने पर राजस्थान राज्य को नोटिस करते हुए भरोसी बाई ने पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया था जिसमें अकाट्य सबूत के बावजूद भी वाद को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील आरएए, कोटा, रेवन्यू बोर्ड अजमेर में की जा चुकी है वहां मान्यता दी गयी परन्तु जो सहायता चाही गयी थी वह नहीं देने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों की नकल प्राप्त कर अवधि मध्य 28.02.2023 को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका पेश की जिसमें दिनांक 04.07.2023 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उक्त मामले में जिला कलक्टर महोदय, बून्दी के यहां अपील संख्या 44/2008 में निर्णय दिनांक 29.09.2008 में मुकदमे का निस्तारण तक भूमि रिकॉर्ड में नहीं परिवर्तन करने बाबत् आदेश दिया हुआ है। विवादित खसरा संख्या 137 में से 1065/137 रकब 1.2100 है0 पर सीमा कुमारी पत्नी हुकमचंद का नाम अंकन इन्तकाल नम्बर 843 से दान पत्र के आधार पर आया था। प्रकरण के अन्तिम निस्तारण हुए बिना भरोसी बाई के अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक दान पत्र अपनी पत्नी सीमा बाई के नाम दिनांक 06.02.2023 को पंजीकृत करवा लिया। उक्त इन्तकाल संख्या 842 को निरस्त करने की अपील व दान पत्र को निरस्त करने का वाद पेश कर दिया है। उक्त मामले में मई 2023 में भी प्रार्थिया के ससुर व पति ने विवादित जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था तत्समय दिनांक 28.02.23 को रिट

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वका की प्रति पुलिस थाना देहीखेडा में दे दी गयी थी। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस नहीं है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है और अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर हमने विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थिया अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना में अंकित बिन्दुओं का दौहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्राथिगण 1 लगायत 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थिया के कब्जा काश्त में कोई दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें, जबरन ताकत के बल पर प्रार्थिया को बेदखल नहीं करें। प्रार्थिया अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 1997 SC Page no 1240, RLW 2002 RJ Page no. 324, RLW2011(2) Page no. 805, RRT 2022(1) Page no. 114, RLW 2018(2) Page no. 1055, RLW 2011(2) Page no. 878, DNJ 2010 Page no. 260, DNJ 2015 SC Page no. 837 पेश किए। अप्रार्थिगण के अधिवक्ता ने प्रार्थिया अधिवक्ता बहस का विरोध करते हुए पत्रावली में पेश फर्द दस्तावेज की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि अप्रार्थिया भरोसी बाई ने दिनांक 08.03.1995 को भूमि खसरा संख्या 53 मिन रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 53 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी तत्कालीन खातेदार रामकंवरी मीणा निवासी गुहाटा से 1:50,000/रु में पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी जिसके खसरा संख्या 137 रकबा 1.52है0 बनाये गये। प्रकरण के अन्तिम निस्तारण हुए बिना भरोसी बाई के अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से विवादित खसरा संख्या 137 में से 1065/137 रकंब 1.2100 है0 पर एक दान पत्र अपनी पत्नी सीमा बाई के नाम दिनांक 06.02.2023 को पंजीकृत करवा लिया। इन्तकाल संख्या 842 को निरस्त करने की अपील व दान पत्र को निरस्त करने का वाद पेश कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका पेश की जिसमें वाद विषयक आराजी के संबंध में दिनांक 04.07.2023 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। तथ्यों को छिपाते हुए रिट याचिका की जानकारी होते हुए भी प्रस्तुत निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज, जवाब एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंद सम्वत् 2074–2077 वाके ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ़ में खसरा संख्या 1065/137 रकबा 1.2100 है0 भूमि पर प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थिया के नाम नामांतकरण संख्या 843 दिनांक 10.04.2023 के दानपत्र जो प्रार्थिया के पति द्वारा की गई है के आधार पर अंकित किया गया है। उक्त नामांतकरण की अपील माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर महोदय, बून्दी के यहां विचाराधीन है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में पूर्व में एक वाद इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 83/2005 दिनांक 28.07.2010 से निर्णित किया जा चुका है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

करने लग

की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में प्रकरण संख्या 99/2010 की जा चुकी है जो निर्णय दिनांक 21.03.2013 से निर्णित की जाकर अप्रार्थी सं 2 को ग्रस्त आराजी में से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जा चुका है। जिसकी अपील नीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रकरण संख्या ालडि/टीए/2777/2013/बूंदी से की जा चुकी है जो निर्णय दिनांक 13.12.2022 से र्णित की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा ा है। वर्तमान में उक्त वाद विषयक आराजी से संबंधित एक एस0बी0 सिविल रीट पिटिशन ख्या 4348/2023 बउनवान भरोसी बाई बनाम भरोसी लाल माननीय राजस्थान उच्च ायालय, बेंच जयपुर में विचाराधीन है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2023 से देश पारित कर वाद विषयक आराजी पर यथा स्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया गया । अप्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत जल उपयोक्ता संग माखीदा , सी0ए0डी0 उपखण्ड लबान की रिपोर्ट दिनांक 27.09.2023 की प्रतिलिपी के अवलोकन से ग्राम लबान के खसरा संख्या 137 पर वर्ष 001–02 से 2022–23 तक अप्रार्थिया सं 2 भरोसी बाई मीणा पत्नी मुकुट बिहारी मीणा द्वारा ूमि पर काश्त किए जाने संबंधी तथ्या अंकित है। प्रार्थिया वर्तमान जमबंदी सम्वत् 2074–2077 ाके ग्राम गुहाटा अनुसार वाद विषयक कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार है जिससे अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर द्वारा पूर्व में ही वाद विषयक आराजी के संबंध में दिनांक 04.07.2023 से स्थगन आदेश जारी किए हुए है। हमारे मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर में विचाराधीन प्रकरण का संबंध वाद विषयक आराजी से है जिससे उक्त प्रकरण का निस्तारण से पूर्व प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद विषयक कृषि भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया जाना हमारे मत में उचित नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता। पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)